



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10022025-260880
CG-MH-E-10022025-260880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]
No. 93]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 6 फरवरी, 2025

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/227.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में, अध्याय-VI में मौजूदा विनियम 39क के बाद निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के संबंध में जिम्मेदारी

39ख. कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग वाले टूल्स एवं तकनीक का इस्तेमाल करे [फिर चाहे उसने वे टूल्स खुद बनाए हों या वह तकनीक खुद बनाई हो और या फिर उसने उन्हें दूसरे सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) से खरीदा हो, और फिर भले ही वह अपने कामकाज के लिए और अपने ग्राहकों या सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए उनका इस्तेमाल किसी भी हद तक करता हो या किसी भी कार्य के लिए करता हो], तो ऐसे में वह-

- क) समस्त प्रक्रियाओं के दौरान निवेशकों और स्टैकहोल्डर्स के डाटा (जिसमें वह डाटा भी शामिल है, जो उसके पास फिड्यूशरी कैपेसिटी में रखा हो) को गोपनीय रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए और उससे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा;
- ख) उन टूल्स और तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाले नतीजों (जिनके आधार पर वह कार्रवाई आदि करता हो या जिन्हें वह अमल में लाता हो) के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा; और
- ग) लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले टूल्स एवं तकनीक” में ऐसा कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक्ज़िक्यूटेबल सिस्टम शामिल हो सकता है या उनमें से कोई दो या सभी शामिल हो सकते हैं, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) निवेशकों / स्टैकहोल्डर्स को दे या फिर वह स्वयं आंतरिक स्तर पर उसका (उनका) इस्तेमाल ट्रेडिंग और सेटलमेंट (निपटान) को सहज बनाने के लिए करे और या फिर अपने कार्य करने के लिए करे (जिसमें प्रावधानों आदि के पालन से जुड़े कार्य भी शामिल हैं); और जिनके बारे में यह जाहिर हो रहा हो कि वे आम जनता को दिए जा रहे प्रोडक्ट ही हैं या फिर उनका इस्तेमाल प्रावधानों आदि का पालन करने के लिए किया जा रहा है या फिर उनका इस्तेमाल प्रबंधन (मैनेजमेंट) या कारोबार से जुड़े दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./950/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् -
 - (क) 4 जून, 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा

- (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
- (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
- (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
- (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
- (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा
- (झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/139, द्वारा
- (ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/148, द्वारा
- (ट) 26 अप्रैल, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171, द्वारा
- (ठ) 10 मई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/174, द्वारा
- (ड) 29 जुलाई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/196, द्वारा
- (ढ) 29 अगस्त, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/202, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th February, 2025

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/227 — In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, in Chapter VI after existing regulation 39A the following new regulation shall be inserted, namely,–

“Responsibility for the use of artificial intelligence

39B. A recognized stock exchange and a recognized clearing corporation which uses artificial intelligence and machine learning tools and techniques, either designed by it or procured from third-party technology service providers, irrespective of the scale and scenario of adoption of such tools for conducting its business and servicing its clients or constituents, shall be solely responsible–

- a) for the privacy, security and integrity of investors’ and stakeholders’ data including data maintained by it in a fiduciary capacity throughout the processes involved;
- b) for the output arising from the usage of such tools and techniques it relies upon or deals with, and
- c) for the compliance with applicable laws in force.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression “artificial intelligence and machine learning tools and techniques” may include any application or software program or executable system or a combination thereof, offered by a recognized stock exchange or a recognized clearing corporation to investors/stakeholders or used internally by it to facilitate trading and settlement or to carry out its activities including compliance requirements and the same are portrayed as part of the products offered to the public or under usage for compliance or management or other business purposes.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./950/2024-25]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on–
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.

- (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
- (g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
- (h) 28th February, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.
- (i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.
- (j) 22nd August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.
- (k) 26th April, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.
- (l) 10th May, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/174.
- (m) 29th July, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/196.
- (n) 29th August, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/202.